

खाद्य सुरक्षा बिल के औचित्य पर सीएजी ने उठाए गंभीर सवाल



नई दिल्ली। यूपीए सरकार एक ओर जहां खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास कराने की कवायद कर रही है वहीं महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में अनाज के भंडारण, रखरखाव और समर्थन मूल्य तय करने में मनमानी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट एफसीआइ की अनाज भंडारण व्यवस्था एवं वितरण में गंभीर खामियां पाई हैं। सीएजी ने रिपोर्ट में ऑडिट

की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि 2006.07 से लेकर 2011.12 के बीच अनाज खरीद 343 लाख मिट्रिक टन से बढ़कर 634 लाख मिट्रिक टन हो गई। परिणामस्वरूप जून 2007 से जून 2012 के बीच केंद्रीय पूल में अनाज का स्टॉक 259 मिट्रिक टन से बढ़कर 824 मिट्रिक टन हो गई। अनाज का स्टॉक इस तरह से बढ़ने से भंडारण व्यवस्था एवं वितरण पर बुरा असर पड़ा। यही वजह ही आए दिन अनाज की बर्बादी होती दिख रही है। मालूम हो कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि क्यों न अनाज को गरीबों में बांट दिया जाए लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है कि अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं अपनाया जाता है। परिणामतः 2006.07 से 2011.12 के बीच गेहूं की उत्पाद कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य में 29 फीसद से लेकर 66 फीसद के बीच अंतर पाया गया है। वहीं धान के मामले में यह अंतर 14 से 60 फीसद के बीच है। केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से समर्थन मूल्य में वृद्धि का खामियाजा... **शेष पृष्ठ 7 पर**

किसानों की मांग हुई पूरी: चौधरी नारायण सिंह

ग्वार को पुनः वायदा कारोबार में शामिल



जयपुर। लम्बे समय से किसानों द्वारा कि जा रही मांग और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह के व्यक्तिगत प्रयासों कि बदोलात किसानों को अब ग्वार के बेहतर बाजार मूल्य मिलेंगे एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ज्ञात रहे कि राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह ने प्रदेश के किसानों की मांग को देखते हुए ग्वार व ग्वार गम को पुनः एम सी एक्स एवं एन.सी.डी.ई.एक्स में सम्मिलित करने का अनुरोध एवं मांग रखी थी। कृषि मंत्री शरद पंवार एवं वाणिज्य मंत्री अनंत शर्मा ने मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को राहत दी।

सट्टेबाजी की गुंजाइश बेहद कम: ग्वार वायदा में फिर से ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। एमसीएक्स पर 16 मई से ग्वार वायदा में कारोबार शुरू हो जाएगा। एमसीएक्स पर ग्वार में कारोबार के लिए जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर वायदा मौजूदा रहेगा। कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर एफ एमसी ने ग्वार वायदा की ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है। दरअसल, ग्वार में जोरदार सट्टेबाजी के चलते ग्वार के वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई थी। एफएमसी ने कई अहम बदलाव के साथ ग्वार वायदा को मंजूरी दी है। लिहाजा नए नियमों के तहत कमोडिटी एक्सचेंजों पर 16 मई से ग्वार वायदा में कारोबार शुरू हो सकेगा। नए नियमों के तहत पोजिशन लिमिट की 75 फीसदी होल्डिंग वाले ब्लाइट पर एक्सचेंज खास नजर रखेंगे। वहीं मेंबर्स को ग्वार वायदा में लगने वाले फंड का सोर्स बताना होगा। ग्वार सीड के सारे वायदा में मेंबर्स की पोजिशन लिमिट 12,000 टन होगी। वहीं ग्वार गम के सारे वायदा में मेंबर्स की पोजिशन लिमिट 3,000 टन होगी। ग्वार वायदा में 10 फीसदी की शुरुआती मार्जिन देनी होगी। कीमतों में भारी उठापटक होने पर 30.70 फीसदी तक स्पेशल मार्जिन संभव है। एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक ने कहा कि इस बार ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे कीमतों में उठापटक के लिए सट्टेबाजी की गुंजाइश बेहद कम रहेगी। और पूरे कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी में सृष्टि एग्रो का एक और कदम कम पानी में अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है ?

मुम्बई। देश विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि कृषि प्रदर्शनी आयोजित करने वाली संस्था यू.बी.एम. से सृष्टि एग्रो ने अनुबंध किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की यह कम्पनी विश्व में द्वितीय तथा भारत में प्रथम स्थान रखती है जिसने कृषि एक्जिबिशन आयोजित की हो। यू.बी.एम. हाल ही में मुंबई में एक दो दिवसीय मेगा सेमीनार करने जा रही है।

क्रोपवर्ल्ड इंडिया 2013

के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये कॉर्प्रिस रीजनल हैड पल्लवी मांतगकर तथा टीना मथाइल ने बताया कि मुम्बई में 16 व 17 जुलाई को होने वाली इस मेगा सेमीनार में सृष्टि एग्रो पाक्षिक समाचार पत्र को मीडिया पार्टनर बनाया गया है। सृष्टि एग्रो के प्रधान संपादनक सुरेश जी शर्मा ने हाल ही में कम्पनी से यह अनुबंध किया है। मुम्बई में होने वाली इस सेमीनार में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि कम्पनियों भाग लेंगे।

**यू.बी.एम. का बना
मीडिया पार्टनर**

सेमीनार में व्याख्यान के जरिये कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई व अन्य विविध जानकारी देंगे।

पल्लवी ने बताया कि यू.बी.एम. एक ऐसी संस्था है जो देश विदेश में न केवल प्रदर्शनियां आयोजित करती है अपितु अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है। इस संस्थान ने भारत भर में 26 से भी ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित की है। संस्थान की विश्व भर के अनेक देशों में शाखाएँ हैं जहां वे प्रदर्शनी आयोजित करती है।

मुम्बई में 16 व 17 जुलाई को होने वाली दो दिवसीय सेमीनार में अनेक सत्र होंगे जिसमें कृषि विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इस सेमीनार में इस बात पर मंथन किया जायेगा कि कम पानी में अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है। कृषि से जुड़े लोगों का व्यवसाय किस प्रकार बड़े इसके लिए भी टिप्स दी जायेगी। सेमीनार के लिये पंजियन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कृषि क्षेत्र से सृष्टि एग्रो ही ऐसा समाचार पत्र है जिसे इस संस्थान ने बतौर मीडिया पार्टनर चुना है।

इनकी होगी भागीदारी

मुंबई में होने वाली इस मेगा सेमीनार में देश विदेश की सीड्स, एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजरस, बायों पेस्टिसाइड, कृषि उद्योग से जुडी कम्पनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे।

खरीफ फसल के लिए 31 मई तक अभियान ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण

जयपुर। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार पवन कुमार गोयल ने बताया कि काश्तकारों को खरीफ फसल के लिए सहकारी बैंकों की शाखाओं व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अभियान चलाकर 31 मई तक ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण किए जाएंगे।

गोयल ने बताया कि पिछले दिनों एक बैठक में सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस वर्ष काश्तकारों को खरीफ फसल के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह ऋण वितरण मई के अंत तक किया जाना है।

उन्होंने बताया कि गत वर्ष के खरीफ ऋणों का चुकता करने वाले काश्तकारों को अभियान चलाकर कम से कम समतुल्य राशि का ऋण 21 मई तक आवश्यक रूप से वितरण के निर्देश दिए गए हैं। 21 मई से 30 मई तक बढ़े हुए लक्ष्यों के अनुसार पुराने सदस्यों को कृषि जोत के गुणन में उनकी अधिकतम साख सीमा की पात्रता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वर्ष काश्तकारों की अधिकतम फसली सहकारी ऋण साख सीमा को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। इसके आधार पर सहकारी बैंकों को काश्तकार की कृषि जोत एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति के मापदण्डानुसार काश्तकार की ऋण पात्रता के अनुसार अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये तक का फसली सहकारी ऋण दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि खरीफ में 1 लाख 50 हजार का ऋण वितरण के बावजूद रबी में भी काश्तकार द्वारा खरीफ फसल हेतु दिए गए ऋण के विरुद्ध जमा कराई गई राशि के समतुल्य ऋण वितरित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि पहले खरीफ और रबी दोनों में मिलाकर निर्धारित साख सीमा की पात्रता तक ऋण दिया जाता था।

रजिस्ट्रार गोयल ने स्पष्ट किया है कि देय तिथि से पूर्व फसली सहकारी ऋण चुकाने वाले काश्तकारों से किसी तरह के ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। केन्द्रीय सहकारी बैंक भी पैक्स/लैम्प से ब्याज की वसूली नहीं करेंगे।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक आर.के.पुरी ने बताया कि अपेक्स बैंक द्वारा अभियान चलाकर फसली सहकारी ऋण वितरण के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

मुर्गी पालन में जनित रोगों के निवारण के उपाय

गत तीन दशकों के दौरान अपने देश में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आये हैं। इस दौरान मुर्गीपालन घर के पिछवाड़े से चलकर एक लाभदायक उद्योग का रूप ले चुका है। आज मुर्गियों की उत्पादन क्षमता लगभग 310 अंडा प्रतिवर्ष तथा छः सप्ताह में ब्रायलरों का शारीरिक भार लगभग 2 कि.ग्रा. तक पहुंच चुका है। इनके परिणाम स्वरूप भारत विश्व में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में चौथा तथा ब्रायलर उत्पादन में पांचवां स्थान बना चुका है। मुर्गी पालन व्यवसाय पर किये गये कुल व्यय का लगभग 65-75 प्रतिशत भाग उनकी आहार व्यवस्था पर खर्च होता है।

कुक्कुट पालकों को अपनी मुर्गियों से अधिक अंडे व मांस उत्पादन प्राप्त करने के लिये उन्हें सस्ता एवं संतुलित आहार देना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन व्यावसायिक कुक्कुट पालन के क्षेत्र में कुछ समस्यायें भी पैदा हो रही हैं जैसे नयी बीमारियों का प्रकोप, सस्ते एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता, खाद्य पदार्थों में फफूंद का संक्रमण इत्यादि। कुक्कुट व्यवसाय में कवक जनित रोग की समस्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बन चुकी है। कवकों की लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां कुक्कुट आहार में मिलाये जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को सर्वमित करने के लिये जिम्मेदार होते हैं। विश्व में फसल उत्पादन का लगभग 25-25 प्रतिशत भाग इन कवकों का सर्वमित हो जाता है।

ऐसे संक्रमित खाद्य पदार्थों से बने कुक्कुट आहार या फूँद सर्वमित मिश्रित कुक्कुट आहार मुर्गियों को खिलाने पर मुर्गियों की शारीरिक बढवार घट जाती है, अंडे का उत्पादन कम हो जाता है, आहार भक्षण में कमी आती है तथा आहार रूपांतरण दक्षता प्रभावित होती है। अंडे की गुणवत्ता में कमी आती है। मुर्गियों में लंगडेपन के लक्षण प्रकट हो सकते हैं तथा शरीर की रोगरोधी क्षमता कम हो जाती है। इन विकृतियों के कारण अंडे व मांस उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ मुर्गियों में अस्वस्थता एवं मृत्युदर भी बढ़ जाती है। इसलिये कुक्कुटों में कवकों से होने वाली हानियों तथा उनसे बचाव का ज्ञान बहुपयोगी कुक्कुट पालन के लिये लाभदायक होगा।

कवक जनित रोग क्या हैं

विघटित कार्बनिक अवशेषों पर उगने वाले सैप्रोफाइट कवकों की कई प्रजातियों से अनाज और अन्य खाद्यों के संक्रमण से अनेक अपघटन के साथ साथ कवकों द्वारा विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न किये जाते हैं, जिन्हें कवक जन्य विष कहते हैं। ऐसा तब होता है जब भंडारित खाद्यों में नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक होती है। कवकों से प्रदूषित अनाज में उर्जा तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार के कवक प्रदूषित खाद्य पदार्थों से बना कुक्कुट आहार मुर्गियों को खिलाने पर मुर्गियों में आहार खपत कम होना शरीर बढवार का रूकना, आहार रूपांतरण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव, अंडे का उत्पादन कम होना, लंगडापन एवं कमजोरी इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे हम कवक जनित रोग या माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। इसमें मुर्गियां एक या एक से अधिक कवक जनित विष से प्रभावित होती हैं। अफ्लाटाक्सिन, बोमिटाक्सिन, जिरेलीनोन, अकराटाक्सिन, सिट्रीनिन

और टी-2 टाक्सिन इत्यादि ऐसे प्रमुख कवक जनित विषय हैं, जिनके कुक्कुट आहार में अकेले या मिश्रित रूप से रहने पर कुक्कुटों के उत्पादन एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कवक जनित विष के प्रभाव को सहन करने की शक्ति विभिन्न कुक्कुट प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। बतख तथा टर्की में कवक जनित विष की सहन शक्ति अत्यंत कम होती है, गिनी फाउल, मुगी, एवं बटेर में इस विषय की सहन शक्ति बतख तथा टर्की से ज्यादा होती है।

कवक वर्धन को प्रभावित करने वाले कारक

आहार में कवकों की वृद्धि कई कारणों से होती है। इनमें से मृदा की किस्में, खेती करने की पद्धति, सस्यों की प्रतिरोधी क्षमता, फसल कटाई का समय, जलवायु, वायुमंडलीय तापमान, पक्षी, कीट तथा चूहों का प्रकोप, परिवहन एवं भंडारण की विधि इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भंडारण के समय दाने में नमी की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, वातावरण की आर्द्रता एवं तापमान से कवकों का विकास बहुत प्रभावित होता है। सामान्यतः 80-82 प्रतिशत आर्द्रता एवं 18 डिग्री से 42 डिग्री से. तापमान, कवक विकास के लिये अनुकूल होता है। इसी प्रकार दाने में 12 प्रतिशत या इससे ज्यादा नमी कवक विकास के लिये अनुकूल पायी जाती है। अन्न और उनके उप उत्पाद, तिलहन और खलिया, मूंगफली की खली, कपास के बीज की खली, सूर्यमुखी की खली, सोयाबीन की खली, कसावा चूर्ण, मछली का चूरा एवं तैयार आहार में कवकों का संक्रमण बहुत कम पाया जाता



हैं। मुर्गियों को बिछाली पद्धति में पालने पर पानी एवं दाने के बर्तन साफ न होने या नमी वाली जगहों पर आहार का भंडारण करने पर कवकों के संक्रमण की संभावना अधिक रहती है।

कवक जनित रोगों का मुर्गी स्वास्थ्य पर प्रभाव अफ्लाटाक्सिन

अफ्लाटाक्सिन, मुख्यतः एसपरजिलस फ्लेवस तथा एसपरजिलस पैरासिटिकस प्रजाति के कवकों के द्वारा पैदा होता है। इसके विकास के लिये 27-27 डिग्री से तापमान अनुकूल होता है। दानों में 12 प्रतिशत या इससे ज्यादा नमी होने पर इस कवक का विकास आसानी से होता है। इनका संक्रमण मक्का, मूंगफली की खल और बिनौले की खली में अत्यंत आसानी से हो जाता है। अफ्लाटाक्सिन बी1, बी2, जी1 तथा जी 2 चारों विष अत्यंत प्रभावी होते हैं। अफ्लाटाक्सिन बी

सम्पादकीय

खेतीहर किसान का दायित्व

हम खेतीहर किसान है हमारे मुल्क को हम पर नाज है, इसलिए कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का भविष्य खेतों में निवास करता है लेकिन उस खेतीहर किसान को उसके बदले मिलता क्या है? अपने पसीने से फसल लहलहाने वाला किसान वर्तमान में बदहाली का जीवन यापन कर रहा है। उसके उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिलने से वह कर्ज के बोझ से दबा चला जा रहा है। इस बात में कोई दोराय नहीं कि आर्थिक सम्पन्नता में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जीता जागता उदाहरण वो प्रदेश व उसका किसान है जहां कृषि उत्पादन विपुल मात्रा में है। कृषि की विपुलता में जहां किसान की मेहनत है वहीं अन्य कारण भी सहायक होते हैं। गुणवत्ता पूर्ण खाद बीज का चयन व कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। राज्य व केन्द्र सरकार कृषक को समृद्ध करने व जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए विविध योजनाओं को कार्यरूप दे रहे हैं। किसान आयोग व अन्य संगठन इस कार्य में जुटे है लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी किसानों को जानकारी नहीं है किसानों के हितार्थ योजनाएं फाइलों में दफन हो कर रह जाती है ऐसे में आवश्यकता है एक जागृति की जिससे कृषकों को उनका हक मिले उनके मेहनत के पसीने को सम्मान मिले। यह जागृति तभी आ सकती है जब खेतीहर किसान जागृत होगा। वर्तमान में किसानों को खेती के लिए सबसिडी युक्त ऋण व अन्य सुविधा देने की सरकार दुहाई दे रही है उन्हें समय पर यह सुविधा समुचित मात्रा में मिले इस बात की नितांत आवश्यकता है। खेती में पैदावार बढ़ाने व उसे अकाल विपत्ति से बचाने के लिए भी अनेक वैज्ञानिक तरीके हैं। विज्ञान हमें जीवन में गति देती है लेकिन उतनी गति भी न ले कि हम संभल नहीं सके। ऐसा भी देखने में आया कुछ कृषक हद से ज्यादा उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं ऐसे में उनका ध्यान भविष्य से हट जाता है। जमीन में संतुलित मात्रा से अधिक केमिकल डाले जाये तो एक बार उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उसका उर्वरा शक्ति पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? किसान का दायित्व है कि वह अपने उत्पाद में गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं करें।

1 सबसे अधिक विषाक्त एवं खतरनाक होता है। मुर्गियों को अफ्लाटाक्सिन बी1, सर्वमित आहार खिलाने पर यकृत और वृक्क में विकृतियां उत्पन्न होती हैं तथा शरीर की रोगरोधी क्षमता कृप्रभावित होती है। इस विष का प्रभाव आहार में इनकी मौजूद मात्रा पर निर्भर करता

वृक्क कृप्रभावित होते हैं तथा रोगरोधी क्षमता घटती है। इसकी 2 मि.ग्रा.0 प्रति कि.0ग्रा.0 की मात्रा आहार में देने पर शारीरिक वर्धन एवं रोगरोधी क्षमता घट जाती है। अतः मुर्गियां रोग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। चूजों के आहार में कवक सर्वमित खाद्य पदार्थ देने पर इनमें पानी की कमी, गिजाई का सूखना दुबलापन इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अंडे देने वाली मुर्गियों में अचानक अंडे का उत्पादन घट जाता है तथा अंड कवच पतले और भंजनशील हो जाते हैं।

जिरेलीनोन: यह कवक जनित विष फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मिन, फ्यूजेरियम ट्राइकुटम के संक्रमण से पैदा होता है। मक्का तथा अन्य अनाजों में इसका प्राकृतिक संक्रमण होता है। इसमें इस्ट्रोजनी गुण पाये जाते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों में इसके प्रभाव के कारण गर्भाशय अपने स्थान से विचलित हो जाता है।

सिट्रीनिन: इसका संक्रमण मुख्यतः गेहूं, जौ तथा जई में होता है। जो वृक्क को क्षति पहुंचाता है। इसके प्रकोप से मुर्गियों में पानी की खपत एवं मल विसर्जन बढ़ जाता है।

टी 2 टाक्सिन: फ्यूजेरियम ट्राइसीनकुटम कवक के द्वारा टी 2 टाक्सिन पैदा होती है। छोटे चूजों के आहार में इसकी 3 पीपीएम से अधिक की मात्रा एवं आहार नली में विकृतियां पैदा हो जाती हैं साथ ही शारीरिक बढवार रूक जाती है। शारीरिक संतुलन बिगाड जाता है और रोग रोधी क्षमता क्षीण हो जाती है।

कवक जनित विषों की सहनीय मात्राये: मुर्गियों में कवक जनित विषों की सहनीय मात्राये विभिन्न कारकों जैसे मुर्गियों की उम्र, लिंग, पौषणिक स्तर एवं मुर्गियों से तनाव इत्यादि पर निर्भर होती है।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुमोदित की गयी विभिन्न कुक्कुट प्रजातियों के आहार में कवक जनित विषों की सहनीय मात्रा आगे सारणी में दी गयी है।

हैं। इस कवक जनित विष से मुर्गियों के यकृत और

2 पृष्ठ का शेष भाग....

मुर्गी पालन में जनित रोगों के निवारण के उपाय

कुक्कुट खाद्य पदार्थों का कवकों से बचाव

मुर्गियों को कवक जनित विषों के प्रभाव से पूरी तरह बचा पाना कठिन होता है। परंतु आगे वर्णित उपायों के पालन करने से इन विषों के कुप्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है -

1. जो भी कुक्कुट खाद्य पदार्थ आहार में मिलाना हो वह स्वस्थ, कीट, रहित एवं सूखा हुआ होना चाहिए। अतः खाद्य पदार्थों के ऋय के समय इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
2. भंडारण किये गये खाद्य पदार्थों में समय समय पर नमी की मात्रा की जांच करते रहना चाहिए।
3. तैयार आहार या आहारीय खाद्य पदार्थों का अधिक समय तक भंडारण नहीं करना चाहिए।
4. कुक्कुट खाद्य पदार्थों का भंडारण सूखे भंडारों में यथासंभव अवात वातवरण में करने का प्रबंध करना चाहिए।
5. भंडारित की गयी सामग्री में 12 प्रतिशत से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए।
6. ऐसे सभी उपकरण जैसे दाने और पानी के बर्तनों इत्यादि की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए।
7. यदि आहार में कहीं से कवक का संक्रमण हो जाये, तो उसे वहां से अलग करके नष्ट कर देना चाहिए।
8. कवक के प्रसार को रोकने के लिये आहार में कैल्शियम प्रोपियोनेट 1.1 से 1.4 कि.ग्रा. प्रति टन आहार या प्रोपियोनिक अम्ल 1.6 कि.ग्रा. प्रति टन आहार की दर से मिलाने पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होता है।
9. कवकों की वृद्धि को रोकने के लिये आहार में कॉपर सल्फेट या कुछ अन्य रसायनों का (जैसे अमोनिया, कैल्शियम, मिथाइल एमाइल, ओजोन, सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा साल्वेंट मिश्रण इत्यादि) भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रबंध व्यवस्था द्वारा कवक जनित रोग के प्रभाव को कम करना

सामान्य रणनीति बनाकर - सामान्य रणनीति बनाकर कवक जनित विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे कवक संक्रमित आहार कुक्कुटों को नहीं खिलाना चाहिए। कुक्कुटों को स्वस्थ और पुष्ट खाद्यों से बना संतुलित आहार खिलाना चाहिए। समय समय पर आहार एवं जल भंडारण पात्रों की स्वच्छता का निरीक्षण करना चाहिए एवं भोजन तथा पेय जल के पात्रों की वर्षा ऋतु में प्रतिदिन तथा अन्य ऋतुओं में 3 से 6 दिन के अंतर पर सफाई करनी चाहिए। आहार का भंडारण लंबी अवधि तक नहीं करना चाहिए और उतना ही आहार बनाना चाहिए जो 15 दिन तक के लिये ही पर्याप्त हो। फार्म पर साफसफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

आहारीय बदलाव करके - आहारीय बदलाव करके कवक जनित रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आहार में प्रोटीन की मात्रा 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने से या आहार में 1-2 कि.ग्रा. मिथियोनिन या 1.5 कि.ग्रा. लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड प्रति टन की दर से मिलाने पर भी विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार एक टन आहार में 2-3 ग्राम सेलेनियम, 10-20 कि.ग्रा. वनस्पति तेल, 300 ग्रा. कोलिन क्लोराइड और 1 ग्रा. विटामिन ई मिश्रित करके भी कवक विषों के कुप्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है।

आहार में फीड एडिटिव्स या माइक्रोटाक्सिन बाइंडर मिलकार - संश्लेषित प्रति आक्सीकारक पदार्थ (एंटी आक्सीडेंट) जैसे - ब्यूटिलेटेड हाइड्राक्सी एनीसोल (बीएचए) की 0.5-1.0 कि.ग्रा. प्रति टन आहार में मिलाने पर लाभ होता है। जडी बूटी मिश्रित उत्पाद (हर्बल मिश्रण) जिसमें कत्था 25 प्रतिशत, फाइलेंथस, निरूरी 40 प्रतिशत, एंडोग्रेफिस पैनीकुलेटा 25 प्रतिशत तथा आहारीय पदार्थ 10 प्रतिशत को मिश्रित करके एक टन आहार में 500 ग्रा. से 750 ग्रा. की दर से मिलाने पर कवक जन्य व्याधियों का कुप्रभाव घटता है। बहुत से प्राकृतिक एवं संश्लेषित द्रव्यों जिसे कवक विष बंधनी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे संक्रियित कोयला 1-2 कि.ग्रा. प्रति टन, बेंटोनाइट, पडोर, केवोलिन, हाइड्रेटेड सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट 2-4 कि.ग्रा. प्रति टन, इस्टरीफाइड ग्लूकोमेनन 0.5-1.0 कि.ग्रा. प्रति टन आहार में मिलाने पर कवक जनित रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

राकेश चौधरी और जोधराज जाट'

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिंसार (हरियाणा) - 125004

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, जयपुर (राज0) - 303329

गेहूं खरीदारी में निजी कारोबारी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कम होने के अनुमान से निजी कारोबारी सक्रिय हो गए हैं और वे देशभर के उत्पादक राज्यों में गेहूं की भारी खरीद कर रहे हैं। इसके चलते खरीद लक्ष्य को 4.4 करोड़ टन से घटाकर महज 3.4 करोड़ टन कर दिया गया है। एफसीआई सूत्रों के मुताबिक खरीद गिरकर 3 करोड़ टन पर आ सकती है। पिछले साल सरकारी एजेंसियों ने 3.81 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी। चालू खरीद सीजन में भारी मात्रा में निजी खरीदारी हो रही है, जबकि पिछले साल यह स्थिति नहीं थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में गेहूं पर बोनस होने के बावजूद बड़े पैमाने पर निजी खरीदारी हो रही है। रोलर फ्लोर मिलर्स ऑफ पंजाब के अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि कम आवक और निर्यातकों की मांग के कारण गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ी ज्यादा कीमत पर खरीदारी करने में समझदारी है। उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि नारायण गुप्ता ने कहा कि इस साल कारोबारी भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कम खरीद से ओएमएमएस (खुले बाजार में बिक्री की योजना) के जरिये जारी होने वाले गेहूं की मात्रा पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकारी गोदामों में भंडारण के लिए जगह नहीं है, लेकिन जल्द लागू होने वाले जा रहे खाद्य सुरक्षा कानून से बफर स्टॉक की जरूरत बढ़ सकती है। एफसीआई ने भारी स्टॉक होने के बावजूद पिछले साल खुले बाजार में बेचे गेहूं की कीमतों में कमी नहीं की थी, इसलिए अभी गेहूं की खरीदारी करना बेहतर है। दक्षिण की मिलें भी इसी राह पर चल रही हैं, क्योंकि खुले बाजार में गेहूं बिक्री की कीमत पर सरकार की नीतियों में बदलाव से उन्हें खुले बाजार से ज्यादा गेहूं खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है। तमिलनाडु फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एस कमला कन्नम ने बताया कि खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं की कीमत 1525 रुपये से घटाकर 1170 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी और फिर इसे बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दक्षिण की मिलों ने एफसीआई के बजाय खुद खरीदारी को तरजीह दी है। अहमदाबाद के एक गेहूं ब्रोकर ने इस बात की पुष्टि की कि निर्यातक गेहूं खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें 15 से 30 मई तक निर्यात खेप भेजनी है। हालांकि यह समय निर्यातकों के लिए अनकूल नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उक्रेन का गेहूं भारतीय गेहूं से कम कीमत पर उपलब्ध है। भारतीय निर्यातक अपनी निर्यात प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकते हैं और नुकसान पर भी बिक्री कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि कम उत्पादन से किसानों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था के दबाव से गुजर रही सरकारी एजेंसियों को इससे कुछ राहत मिलेगी। खरीद में 1 करोड़ टन की कमी से अतिरिक्त भंडारण स्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में उत्पादन रिकॉर्ड 15 से 20 फीसदी घट सकता है। दोनों राज्यों का केंद्रीय भंडार में 50 फीसदी से ज्यादा योगदान होता है, इसलिए कुल गेहूं खरीद पर भारी असर पड़ सकता है।

बीमा के जरिए फसल की सुरक्षा

मौसम आधारित फसल बीमा किसानों के लिए वरदान जैसा है। भारतीय किसान फसल के उत्पादन के लिए आज भी मौसम के मिजाज पर आश्रित हैं। मौसम अनुकूल न होने या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को पहुंचने वाली क्षति के मामले में यह बीमा किसानों को नुकसान की भरपाई करता है। प्रीमियम की दरें फसल पर निर्भर करती हैं।

महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के एक गांव में रहते हैं बबन प्रसाद। पेशे से किसान हैं। 20 एकड़ जमीन के मालिक, जिसमें वह साल भर में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। वह खेती की आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि साल में इतनी फसल पैदा कर लेते हैं, जिससे अपने छोटे से परिवार के पेट पालने लायक खाद्यान्न और अन्य जरूरतों के लिए पैसे का इंतजाम कर सकें।

फसल बीमा के लाभ: बबन की सफलता की एक वजह यह भी है कि वह फसल या मौसम (वेदर) बीमा धारक भी हैं। उनके खुद के पास लाइफइंश्योरेंस पॉलिसी है और अपनी फसलों का भी बीमा करवाते हैं। बीमा योजना के फायदे के बारे में उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। वह कहते हैं, 'भारत जैसे देश में जहां के किसान उतार-चढ़ाव भरे मौसम पर निर्भर हैं और जहां का सबसे पुराना पेशा कृषि है, फसल बीमा खेती-किसानी के लिए बड़ा कारगर है। देश के हर किसान को इसका फायदा उठाना चाहिए।'

समस्याओं का समाधान: बबन प्रसाद की बात सौ फीसदी सही है। उनके इलाके में विश्व बैंक और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सौजन्य से एरिया बेस्ड योजना मसलन नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम(एनएआईएस) और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू है। जानकारों का कहना है कि यदि उचित प्रचार-प्रसार किया जाए, तो फसल बीमा से देश के सबसे पुराने पेशे खेती-किसानी की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे भी हमारे देश की 75 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और इसका 80 फीसदी हिस्सा अपने जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर है।

उपयोगी है बीमा: ध्यान रहे कि हमारी सकल राष्ट्रीय आय का तकरीबन 37 फीसदी भाग कृषि से आता है। सूखा, बाढ़, साइक्लोन, तूफान, भूस्खलन, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा किसानों को कई तरह की जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जैसे आग, नकली बीज, खाद, कीटनाशक से फसल खराब होना, कम उपज व विभिन्न वजहों से फसल की कीमतों में कमी समेत मनुष्य निर्मित आपदाएं आदि।

ऐसी हालत में फसल या मौसम बीमा किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है।

पारदर्शी व सरल: अब तो देश में कई कंपनियां किसानों के लिए अच्छे बीमा उत्पाद मुहैया कराती हैं। उदाहरण के तौर पर निजी सामान्य बीमा कंपनी इफको टोकियो कंपनी की संकट हरण बीमा योजना पिछले 10 साल से 10 लाख किसानों को कवर करती है। यह पॉलिसी एकदम पारदर्शी व सरल है। बेहद आसान डिजाइन की इस योजना का ताल्लुक खाद की खरीदारी से है। इफको की खाद की एक बोरी खरीदने वाला किसान स्वयमेव एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कवर में आ जाता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई लॉन्गवॉर्ड और चोलामंडलम एमएस भी वेदर इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है।

फसलों की तस्वीरें: अब बीमा कंपनियों ने क्लेम के लिए फसलों की तस्वीरों का सिलसिला भी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के जरिए शुरू किया है। यह परियोजना अभी प्रायोगिक तौर पर देश में 2 राज्यों, आंध्रप्रदेश के कड़प्पा व छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में शुरू की है। इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का भी सहयोग मिला है। बीमा के साथ किए गए करार के अनुसार नासा का सैटेलाइट उन किसानों की जमीनों व फसलों की तस्वीरें मुहैया करवाएगा जो फसल बीमा कराना चाहते हैं।

तस्वीर रोकेगी जालसाजी: बीमा कंपनी को सैटेलाइट की तस्वीरों की मदद से फसल बीमा के दावों का फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल, यदि कोई किसान बाद में अकाल या बाढ़ से फसल नष्ट होने के नाम पर बीमे का दावा करेगा तो नासा की तस्वीरें उसकी पोल खोल देंगी।

प्रीमियम निर्धारण का आधार: जिन इलाकों में बारिश का प्रतिकूल असर ज्यादा होता है, उन इलाकों के किसानों के लिए यह किफायती प्रीमियम में बीमा सुविधा प्रदान करती है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के सदस्य, स्वयंसेवी संगठनों के व सरकार प्रायोजित संस्थाओं के सदस्य किसानों के लिए यह उपयोगी है। इसमें प्रीमियम का निर्धारण फसल के प्रकार, लोकेशन, बरसात के इतिहास तथा खेती की लागत के आधार पर किया जाता है।

“मेरी यह रचना पूर्णतः मौलिक, अप्रकाशित एवं अप्रसारित है। यह प्रकाशन हेतु कहीं भी विचाराधीन नहीं है। मेरी इस रचना पर विचार करने का संपूर्ण अधिकार मैं आपको देता हूँ।”

- नरेन्द्र देवांगन

बीज उपचार के लिए अनुशंसा

क्र० सं०	फसल / साग-सब्जियों के नाम	प्रमुख रोग एवं कीट	रसायन / जैवनाशी का नाम	रसायन / जैवनाशी का मात्रा (ग्राम / किलो बीज)	
1.	धान	झुलसा / बलास्ट, पत्र लोंबण	कार्बेन्डाजिम	2	
		भूरी चिल्ली रोग, धड़ सड़न	कैप्टॉन	2	
		जीवाणु पर्ण अंगमारी	स्प्रूडोमोनास फ्लोरिसेंस 0.5% WP	10	
		दीमक	क्लोरीफरीफॉस इं०री०	20	3 मि०ली०
2.	गेहूँ	अनावृत कंद	कार्बोक्सीन 37.5 प्रतिशत + थीरम 37.5 प्रतिशत	2.5	
		अल्टनेरिया पत्र लोंबण, अंगमारी हेल्मिथोस्पोरियम	कार्बेन्डाजिम	2	
		दीमक	क्लोरीफरीफॉस इं०री०	20	5 मि०ली०
3.	गन्ना	हेल्मिथेस्पोरियम, ब्लाइट	थीरम / कैप्टॉन	3	
4.	गन्ना	लाल सड़न रोग	कार्बेन्डाजिम / थीरम	2/3	
5.	अरहर, घना, मसूर, मूंग	उकटा रोग	ट्राइकोड्रमा विरिडो	6	
		उकटा एवं झुलसा	कार्बेन्डाजिम / थीरम	2/3	
		दीमक	ट्राइकोड्रमा विरिडो 1% WP	8-10	
			क्लोरीफरीफॉस इं०री०	20	5 मि०ली०
6.	मूंगफली	बीज एवं मिट्टी जनित रोग	कार्बेन्डाजिम / थीरम	2/3	
7.	सरसों	श्वेत कीट	कार्बेन्डाजिम / थीरम	2/3	
8.	तौसी	उकटा रोग	थीरम	3	
9.	आलू	मिट्टी एवं कंद जनित रोग	मेटालेक्सल मानकोजेब +	2	
10.	गोभी	मृदुरोगिल आसिता	कार्बेन्डाजिम	2	
		मिट्टी एवं बीज जनित रोग	ट्राइकोड्रमा विरिडो 1% WP	4-5	
11.	बैंगन	जड़ सूजकृमि	स्प्रूडोमोनास फ्लोरिसेंस 0.5% WP	10	
		जीवाणु मुरझा रोग	स्प्रूडोमोनास फ्लोरिसेंस 0.5% WP	10	
12.	शिमला मिर्च	जड़ सूजकृमि	स्प्रूडोमोनास फ्लोरिसेंस	10	
13.	मटर	उकटा रोग	कैप्टॉन / थीरम	3	
14.	भिण्डी	उकटा रोग	कैप्टॉन / थीरम	3	
15.	गाजर, प्याज	बीज एवं मिट्टी जनित रोग	कार्बेन्डाजिम	2	

Srushti HINDCHEM CORPORATION
CONTACT NO : 0141-3130277 MUMBAI

आधिक व उत्तम पैदावार के लिए "सरदार जी"

अच्छी एवं उत्कृष्ट फसल के लिए सदैव हिन्दकेम कॉर्पोरेशन के उत्पादों का ही उपयोग करें।

→ **Humic Acid**
 → **Potassium Humate**
 → **Seaweed Extract**
 → **Amino Acid**
 → **Gibberellic Acid Tech. (GA)**
 → **6 BA Tech.**

All kind of Plant Growth Regulator & Stimulant Available, ready to pack Formulations Bulk.

Hifield-AG Chem India Pvt. Ltd.
 Regd Off: # 35 Nirala Bazaar, Aurangabad-431001 (M.S) INDIA
 Call us on : 0240-2351290/2351291/2351293/2350788 (10.00 a.m. to 6.00 p.m. IST)
 email : agrochem@hifield-ag.com Website : www.hifield-ag.com

Mob. No.: 9657027883, 9011558007, 8888899616.

Call us Toll Free **1800-4190-888**
 24x7 Customer Support

Hifield-AG
 Healthy Nature for a Wealthy Future

ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा

राकेश चौधरी और जोधराज जाट (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोधनेर जयपुर)

हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठे मनु प्रलय के समय जिस जल प्रवाह को देखकर दुखी हुए थे। बहुत कुछ वैसी ही स्थिति अब दस्तक दे रही है। गरमाती धरती का कहर बढ़ती कार्बन.डाई.ऑक्साइ और इससे बढ़ते प्रदूषण के कारण बिछता कचरा हिमालय को तबाह करने की स्थिति में है। इस मुद्दे को लेकर अब तक विदेशी शोध रिपोर्ट बराबर आती रही हैं। मगर हाल ही में अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में चलाई जा रही श्ग्लेशियोजलॉजी परियोजना के अन्तर्गत भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की मदद से कहा है कि हम हिमालय पर तिल तिल मरते ग्लेशियरों की कराह सुन रहे हैं। चार ग्लेशियर लुप्त प्राय होने और तबाही के कगार पर हैं। पंद्रह अन्य ग्लेशियर लगभग बुरी हालत में हैं। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि एक ओर ग्लेशियरों पर सर्दी में कम बर्फ जम रही है, वहीं दूसरी ओर गर्मी में बढ़ते ताप से ज्यादा पिघल रहे हैं। आंकड़ों पर आधारित वास्तविकता यह है कि वर्ष 2000 से 2002 के दौरान मात्र दो वर्षों में ग्लेशियरों की काया से 0.1347 क्यूबिक बर्फ लुप्त हो गयी थी। शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार वैश्विक स्तर पर मौसम में गडबडी जारी है। जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के अतिरिक्त प्रभाव के कारण ग्लोबल कूलिंग दस्तक दे रहे हैं।

ग्लोबल वार्मिंग की इस चर्चा के बीच एक चौंकाने वाली सच्चाई ग्लोबल कूलिंग आई है। रिपोर्ट के अनुसार जब ताप तेजी के साथ बढ़ता है। तो उसके प्रभाव से बर्फ तेजी से पिघलती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब बर्फ पड़ती है तो ठण्ड नहीं पड़ती। मगर जब वह पिघलती है तो गलाने वाली ठण्ड पैदा होती है। ग्लोबल वार्मिंग गर्माहट लाएगी। बर्फ पिघलाएगी और तब ग्लोबल कूलिंग पसर जाएगी।

यूरोप, अमेरिका, साइबेरिया इत्यादि में बर्फबारी से इस विचार को और मजबूती मिली है। धरती से प्यार करने वाले मानव द्वारा ही खिलवाड से धरती का भूगोल बिगड रहा है। मानव का कुनबा बढ़ने और उसके द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड करने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे हिम युग का पदार्पण हो रहा है। कार्बन डाई ऑक्साइड की बडी मात्रा अंटार्कटिका पर जा पहुंची है जो बर्फ को पिघला देगी। इससे ग्लेशियर पिघल कर पतले हो जाएंगे। इनके पिघलने से जलस्तर में वृद्धि होगी और ग्लोबल कूलिंग आएगी। एक अन्य शोध के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के पीछे सूरज का ही हाथ है। इस दिशा में कोलंबिया, कैम्ब्रिज और ब्राउन विश्वविद्यालयों में हुए अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि सूर्यतप ही गर्माहट और हिम युग की स्थिति लाता है। ठीक इसी प्रहार अन्य शोधों के अनुसार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण पथ में परिवर्तन हो रहा है। जिसके कारण हिम युग का आगमन होगा। पृथ्वी पर सूर्य की अधिक रोशनी की दशा में वाष्पीकरण की क्रिया में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे में बादल भी खूब बनेंगे जो सूरज की किरणों को फिर् सूरज की ओर पहुंचा देंगे। इस तरह से पृथ्वी पर गर्मी कम होगी और फिर ठण्ड पसरेगी। ऋतुवेद में स्पष्ट लिखा है। तम आसीत तमसा गूढमग्रेष् अर्थात् सृष्टि से पहले अंधेरा था घोर अंधेरा वह अंधेरे से ही छिपा था। सम्भवतरु यही स्थिति आ रही है। शोधकर्ता एंडरसन के अनुसार मानव द्वारा प्रदूषणकारी तत्व प्युरोसोलफ वातावरण में गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हैं

इन कर्णों के दो प्रकार के प्रभाव दिखते हैं। . नेगेटिव और पॉजीटिव। पॉजीटिव फोर्सिंग से गर्माहट बढ़ती है। जबकि नेगेटिव फोर्सिंग गर्मी हटा ठण्डका स्वागत करती है। बदलती जलवायु नेगेटिव फोर्सिंग पैदा कर रही है जो ग्लोबल कूलिंग का प्रभाव ला रही है। देर तक ठण्ड पडनाए अचानक ठण्ड पडनाए मुम्बई जैसी जगह पर तीव्र ठण्ड, महाराष्ट्र में झीलों का का जम जाना इत्यादि से ऐसे ही संकेत मिलते हैं। यदि दक्षिणी ध्रुव की सारी बर्फपिघलती है तो हिन्द महासागर में 200 फुट पानी चढ जाएगा। इससे सुनामी, चक्रवात, तटीय प्रदेशों व द्वीपों का विनाश होगा, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड जाएगा, जीव जन्तु नष्ट हो जाएंगे और मानव विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा।

यहा प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत में रिकार्ड तोड ठंड तथा सर्दी में देरी ग्लोबल कूलिंग है या अन्य प्रभाव इसकी पडताल में यह पाया गया कि इसके कारण ग्लोबल कूलिंग से अलग है। भारतीय मौसम विभाग और इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ने अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत रिकार्ड तोड लंबी अवधि तक रहने वाली सर्दी की व्याख्या की है। प्रमाणित साक्ष्य बताते हैं कि इस बार सर्दी पहाडी व मैदानी भागों में ही नहीं अपितु दक्षिण भारत में भी असामान्य रही। शिवालिक श्रेणी व तराई का मैदान, जहां कभी हिमपात का इतिहास नहीं रहा, वहां भी

यह परिघटित हुआ, यथा.पठानकोट। जहां हिमपात हो रहा था वहां सामान्य से बहुत अधिक है, जैसे गुलमर्ग में . 16 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान, हरियाणा, असम, नागालैण्ड का तापक्रम ऋणात्मक में जानाए महाराष्ट्र में महाबलेश्वर झील का जमनाए चैन्नई में 100 वर्षों का निम्न तापक्रम का रिकार्ड टूट जाना इत्यादि तथ्य यह स्थापित करते हैं कि इस वर्ष शीतकाल असामान्य रहा। भारत का मौसम विभाग, जो इस प्रकार की परिघटना की व्याख्या करने में समर्थ एवं प्राधिकृत है, ने इसकी व्याख्या की है। इसने ला.नीना और पछुआ विक्षोभ को इस भौतिक परिघटना के लिये उत्तरदायी माना है। मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य औसत तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम तापक्रम हो तो ला.नीना एवं ऊपर हो तो एलनीनो की घटना परिघटित होती है। वर्ष 2011 में ला नीना की दशा जो बनी थी वह मार्च 2012 तक भी बनी हुई है। यह ला नीना ठण्डी हवाओं को व ठण्डे पानी को हिन्द महासागर की तरफ ला रही है। जिससे दक्षिण भारत का तापमान कम हो गया है। जिसके कारण कन्डकसन (संवहन) से उत्तर भारत की हवा को गर्म करने की बजाय यह और ठण्डा कर रही है तथा उत्तर भारत में सर्दी मार्च के अंत तक भी बनी हुई है।

भूमध्य सागर व फारस की खाडी से जब हवा



U S AGROCHEM PVT. LTD.
 PLOT NO. B-82, NEELGIRI COLONY,
 BEHIND NEW ANAJ MANDI,
 OPPOSITE ROAD NO. 9, VKI AREA,
 JAIPUR-302013 PH: 0141-3130277
 EMAIL: usagrochem_jalpur@yahoo.com

Wholesale supplier of:
Fertilizers
Bio Stimulants
Micronutrients Mixture
Single Nutrients



उपर एकत्र होती है तो वह जेड स्टीम के प्रभाव में भारत की ओर आती है। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह 5.6 किलोमीटर की उंचाई पर बहती है, जो हिमालय के पहाड से टकराकर वर्षा करती है। इस बार तिब्बत के पठार पर उच्च वायुदाब होने होने (साइबेरियन हवाओं की अधिक तीव्रता के कारण) से यह टकराने के बजाय उत्तर भारत के मैदान में आ गया। गतिज उर्जा के कारण पश्चिम विक्षोभ की हवाएं दक्षिण भारत की ओर जाने से गर्म हो जाती हैं, किंतु इस बार ला नीनो व अधिक पछुआ विक्षोभों के कारण इन हवाओं का तापक्रम कम है, इसलिये दक्षिण भारत भी ठण्डा है। यह मौसम लंबा इसलिये हो रहा है क्योंकि ला नीना व पछुआ विक्षोभों की आवृत्ति निरन्तर है।

प्रभाव .

1. भौतिक पर्यावरण पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड रहा है।
2. ला नीना के कारण अप्रैल तक अच्छा मानसून रहा।
3. पहाडों पर अधिक हिमपात जिससे एक तरफ तो निदर्यों में अधिक जल प्रवाह होगा, वहीं दूसरी ओर हिम ब्लेक बाडी के रूप में काम करेगी। इससे न केवल सूर्य की किरणों का परावर्तन होगा। अपितु बर्फ ज्यादा पिघलने से पहाडों के फ्लोरा फोना पर नकारात्मक प्रभाव पडेगा तथा बाद की संभावनाएं भी प्रबल हैं।

4. छिपकली, सर्प इत्यादि समतापी जन्तु और सेव, सूखे मेवे इत्यादि फल कम तापमान के कारण मर जाएंगे।
5. शरीर में बायोकेमिकल में बदलाव आएगा, मेटाबोलिज्म पर गलत प्रभाव पडेगा। गेहूं इत्यादि फसलें देरी से पकेगी।
6. ठण्डे पानी के कारण समुद्री पारिस्थितिकीय तन्त्र नष्ट हो सकता है।
7. आर्कटिक सागर पर लम्बे शीतकाल से ओजाने परत का छिद्र बढ सकता है क्योंकि अधिक शीतकाल से उपर एयर सर्कुलेशन के द्वारा अपशिष्ट धुत्रों पर चले जाएंगे तथा कम सूर्यतप के कारण ओजोन गैस का निर्माण कम होगा। इन सभी प्रभावों को कम करने के लिये अधिकाधिक वनीकरण क्रिया जाना चाहिए ताकि कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा कम हो। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये मांट्रियल कन्वेंशनए क्योटोप्रोटोकोल, बाली एक्शन प्लान, डरबन प्रेमवर्क इत्यादि को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। साथ ही विकसित देश अपनी जिम्मेदारी को समझे। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिये मौसम पूर्वानुमान तंत्र का सशक्त करना होगा। मौसम से संबंधित जानकारियों को आम जन तक पहुंचाने के लिये मौसम के प्रति जागरूकता और साक्षरता बढ़ाए।

“संरक्षित खेती-मृदा उर्वरता की गारन्टी”

विनोद कुमार यादव 'ए डा0 रवि शंकर सिंह'
एवं डा. आर.के. पाठक”

संरक्षित खेती (कन्जरवेशन एग्रीकल्चर) शब्द से अभिप्राय है कि कम से कम जुताई के साथ फसलों को उगाया जाय, जिससे कि फसल के अवशेष मृदा सतह पर जमा हो सकें तथा जिनके सड़ने के उपरान्त कार्बन, नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्व मृदा को प्राप्त हो सके।

“मृदा को नाम मात्र या बिना जुताई किये, उसकी सतह पर फसल अवशेषों को संरक्षित कर फसलों का उगाया जाना या फसल प्रबन्धन करना ही संरक्षित खेती कहलाता है”।

इस प्रकार की खेती, उन राज्यों जहाँ पर भूमि का दोहन बहुत अधिक किया गया है, अधिक उपयोगी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि संरक्षित खेती के मुख्य लक्षण निम्न हैं:-

- भूमि में कम से कम या बिना जुताई के ही कृषि क्रियायें की जाय।
- मृदा सतह पर फसल अवशेष का प्रबन्धन अच्छी तरह से किया जाय।
- फसल-चक्रों को समय-समय पर अपनाया जाय।

संरक्षित खेती ही क्यों ?

दक्षिण-पूर्व एशिया जिसमें भारत एक मुख्य देश है जहाँ मुख्यतया खाद्यान्न फसलों जैसे-धान, गेहूँ व मक्का की सघन खेती की जाती है, ये खाद्यान्न फसलों यहाँ के लोगों का मुख्य आर्थिक श्रोत भी हैं। ये फसलें उनके जीवन व स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। किन्तु इधर कुछ वर्षों से इन फसलों की उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है, जैसे कि 1966-94 में वृद्धि दर अधिकतम थी, जो कि 1995-2005 में गिरकर आधी या एक तिहाई ही रह गई। इस समय यह बिल्कुल ही स्थिर है, जिसका मुख्य कारण खाद्यान्न फसलों का ही वर्ष दर वर्ष उगाया जाना है, जिससे हमारी भूमि की उर्वराशक्ति में बहुत अधिक गिरावट आई है और भूमि एक तरह से निर्जीव जैसी हो गई है, जिससे उत्पादकता एकदम रूक गई है। इस उत्पादकता की गिरावट के मुख्य कारणों में एकल कृषि प्रणाली, जल श्रोतों एवं भूमि की उर्वराशक्ति का ह्रास आदि प्रमुख कारण हैं।

हमारी जनसंख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही जा रही है, इस कारण हमारे सामने यह चुनौती खड़ी हो गई है कि हमें भूमि की उर्वरता को संरक्षित रखते हुए इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए संरक्षित खेती एक प्रमुख एवं कारगर उपाय साबित हो सकती है।

भारत के परिपेक्ष्य में:

भारत में लगभग 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है, जब साधन संरक्षण तकनीक का उदय हो गया था। यह मुख्यतया राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संयुक्त प्रयत्नों का परिणाम था। यह तकनीक मुख्यतया गंगा-यमुना के मैदानी भागों में जहाँ धान-गेहूँ फसलचक्र प्रमुख रूप से अपनाया जाता है, के लिए उपयोगी है। किन्तु यह खेती शुष्क, अर्द्ध शुष्क एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं है अतः वहाँ इसे नहीं अपनाया जाना चाहिए।

वर्षा आधारित अर्द्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्र:

वर्षा आधारित अर्द्धशुष्क क्षेत्र, जो कि वर्षा की अनिश्चितता, कम उर्वर मृदा और कम उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं, यहाँ जीरो टिलेज या कम से कम जुताई तब तक लाभकारी नहीं है, जब तक कि फसल अवशेषों को मृदा की सतह पर नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्षा का अधिकांश जल रनआफद्वारा नष्ट हो जाता है, इस प्रकार अवशेष की



उपलब्धता पर ही इन दशाओं में संरक्षित खेती निर्भर करती है।

सिंचाई एवं पर्यावरणीय सम्बन्ध:

भारत में संरक्षित खेती को गंगा-यमुना के मैदानी भागों मुख्यतया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में स्थिरता, अधिक उत्पादन लागत, साधनों की गुणवत्ता में गिरावट, जलस्तर का गिरना और पर्यावरणीय समस्यायें प्रमुख रूप से सम्मुख आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्र जैसे-उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे फसल प्रणाली की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त जीरो टिलेज द्वारा गेहूँ की बुआई, रेज्डबेड प्लांटिंग एवं कुछ भूमि समतलीकरण द्वारा भी फसल में पौधों की संख्या, पकने में एकरूपता तक जल का उचित उपयोग आदि को भी बढ़ाया जा सकता है।

संरक्षित खेती के लाभ:

1. फसल उत्पादन लागत का घटना:

चूँकि यह जीरो टिलेज तकनीक पर आधारित होती है। अतः फसल उत्पादन लागत में कमी आती है। इसके अतिरिक्त कई अध्ययनों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि गेहूँ की उत्पादन लागत में लगभग ₹0 1500/- से ₹0 2000/- प्रति है0 तक की कमी की जा सकती है।

2. खरपतवारों की संख्या में कमी:

कई अध्ययनों से पता चलता है कि गेहूँ का मामा (फैलेरिस माइनर) जो कि गेहूँ का मुख्य खरपतवार है, की संख्या में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त जीरो टिलेज के कारण अन्य खरपतवारों की संख्या में भी कमी आ जाती है, जिससे

खरपतवारनाशियों का भी उपयोग कम होता है और किसान को कम पैसा व्यय करना पड़ता है।

3. जल एवं पोषक तत्वों की बचत:

कुछ प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि संरक्षित खेती में 20-30 प्रतिशत पानी एवं पोषक तत्वों की बचत होती है।

4. उपज का बढ़ना:

यदि सुनियोजित तरीके से जीरो टिलेज द्वारा गेहूँ

मशीनरी का अभाव है, जिससे शून्य जुताई में गेहूँ की बुआई, पौधों की दूरी, फसलचक्र, कूड़ में रोपाई तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबन्धन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2. संरक्षित खेती में सभी तरह की क्रियाओं जैसे-पौधों की रोपाई एवं कटाई, जल एवं पोषक तत्वों का प्रबन्धन, रोग एवं कीट नियन्त्रण आदि में संरक्षण लागू किया जाता है, जो कि किसानों के लिए तकनीकी रूप से कठिन होता है।
3. संरक्षित खेती के प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर कार्य करें तथा वैज्ञानिक नई-नई तकनीकों की जानकारी तथा उनका उपयोग समय-समय पर किसानों को बताते रहें, तभी यह अच्छी तरह सम्भव है।
4. वह क्षेत्र जहाँ मृदा का तापमान बहुत कम या शून्य से कम होता है और शून्य जुताई द्वारा बुआई की जाती है तो उपज में कमी आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की भूमि में मृदा कम्पेक्सन भी अधिक होता है।
5. कृषि शोध एवं तकनीकों का अच्छी तरह प्रचार-प्रसार न किया जाना भी इस प्रणाली के अपनाये जाने में बाधक है।
6. किसानों को संरक्षित खेती के बारे में भरपूर जानकारी का न होना।

चुनौतियाँ:

संरक्षित खेती के बढ़ने में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:-

1. संरक्षित खेती की क्रिया विधि/तरीकों की समझ का न होना:

संरक्षित खेती, पारम्परिक खेती की अपेक्षा काफी जटिल है, इसको समझने के लिए खेती की मूल विधियों/तरीकों तथा किसी तरीके या विधि का अगले पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। जैसे-फसल अवशेष मृदा सतह पर मलच का कार्य करते हैं, जिससे वाष्पन में कमी आती है और साथ ही साथ भूमि का तापमान भी नियन्त्रित रहता है। इस प्रकार फसल अवशेषों के बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है तभी हम इसका उचित लाभ ले सकते हैं।

2. किसानों व वैज्ञानिकों के मध्य तालमेल में कमी:

किसानों व वैज्ञानिकों के मध्य तालमेल में कमी से किसानों को अच्छी तकनीकों की जानकारी नहीं मिल पाती है और इस प्रकार इनका उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

3. तकनीकी स्तर पर चुनौतियाँ:

पारम्परिक खेती के मूल सिद्धान्त जो कि संरक्षित खेती के मूल तत्व हैं, उनको समझना और कृषि में लागू करना किसानों के लिए कठिन है। अतः वे उचित लाभ नहीं ले पाते हैं।

4. किसी क्षेत्र विशेष में पूर्व में विभिन्न प्रकार की क्रियायें, कृषि, वातावरण, भूमि तथा फसलों के सन्दर्भ में की गयी हो, उनके बारे में कृषकों में ज्ञान प्राप्त करना भी एक कठिन चुनौती है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संरक्षित खेती आज के परिपेक्ष्य में जितना लाभदायक है, उतना ही इसको अपनाना जटिल है। अतः इसको बढ़ाने के लिए काफी बड़े प्रयत्न की जरूरत है।

की बुआई की जाये, तो उपज में 4-6 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है।

5. पर्यावरणीय लाभ:

चूँकि इस प्रकार की खेती में फसलों को जीरो टिलेज द्वारा ही बोते हैं। अतः फसल अवशेष मृदा सतह पर संरक्षित होते रहते हैं तथा फसल अवशेष को जलाते नहीं हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों जैसे-कार्बनडाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड की वातावरण में कमी आती है और पर्यावरण में सुधार होता है।

6. फसल विविधीकरण का सुअवसर:

जब हम संरक्षित कृषि अपनाते हैं, तो इसमें फसलचक्र एवं कृषि वानिकी को भी अपनाते हैं, जिससे कृषि में विविधीकरण होता है और प्राकृतिक वातावरण में सुधार होता है।

7. मृदा की दशा में सुधार:

चूँकि शून्य जुताई सीधे फसल अवशेष प्रबन्धन से जुड़ी है। इस कारण अवशेष का धीरे-धीरे विनाइट्रीकरण होता है, जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है, इसके अतिरिक्त मृदा सतह पर, अवशेष मलच की तरह कार्य करता है, जिससे मृदा ताप में कमी, वाष्पोत्सर्जन में कमी एवं मृदाजीव की क्रियाशीलता में सुधार होता है।

संरक्षित खेती की समस्यायें:

1. यद्यपि कई अर्थपूर्ण प्रयत्न किये गये, जिससे शून्य जुताई द्वारा गेहूँ की बुआई मशीनों द्वारा की जा सके। किन्तु अच्छा, आवश्यक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रयत्न वही कहा जायेगा, जिसके द्वारा पौधों की दूरी, फसलचक्र, स्थायी बेड एवं कूड़ में रोपाई तथा कटाई द्वारा छूटे फसल अवशेषों को संरक्षित किया जा सके, किन्तु संरक्षित खेती हेतु अच्छी

अच्छी मिर्च की खेती देती है अच्छा उत्पादन

मिर्च एक नगदी फसल है तथा हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। भारत में मिर्च का उपयोग सब्जियों और चटनियों में इस्तेमाल होने वाले एक प्रमुख मसाले के रूप में किया जाता है। शीमला मिर्च या मिठी मिर्च का उपयोग सब्जी के रूप में या आलू के साथ मिलाकर किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिर्च विटामिन ए एवं 'सी' की प्रचुर मात्रा पायी जाती है एवं कुछ खनिज लवण भी पाये जाते हैं। मिर्च में तीखापन इसमें उपस्थित एल्केलाइड, कोप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग, एक रंगीन द्रव, कैप्सेन्थीन के कारण होता है। हरि मिर्च का औषधीय महत्व इसमें उपस्थित कटीन के कारण होता है। रूस के वैज्ञानिकों ने मिर्च में एक विटामिन 'सी' की खोज की है जो गो प्रमाणु विस्फोट के कारण द्वितीयक चमक से बचाव करता है। भारत में महाराष्ट्र तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, बिहार एवं गुजरात में मिर्च का उत्पादन व्यापारिक पैमाने पर होता है।

जलवायु : मिर्च गर्म और आर्द्र जलवायु में भली भाँति उगती है इसके फलों के पकते समय शुष्क मौसम होना बहुत जरूरी है गर्म मौसम की फसल होने के कारण इसे उस समय तक नहीं बोया जा सकता, जब तक मिट्टी का तापमान बढ़ गया है तथा पाले का प्रकोप टल न गया हो। प्रतिकूल तापमान की दशाओं तथा सुखी हवाओं से कलियाँ पुष्प एवं फल गिर जाते हैं। इसे समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।

भूमि एवं इसकी तैयारी : इसके लिए अच्छे जल निकास वाली जीवाणुयुक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है अर्थात् क्षेत्रों की काली मिट्टियाँ भी भारी उपज देती हैं। खेत को 5.6 बार जोत कर व पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए।


किस्में: चरपरी मसाले वाली मिर्च एन.पी.34, एच.पी.46ए ज्वाला, पन्त सी.1, पन्त सी-2, पटना रेड, पूसा सदाबहार (निर्यात हेतु), सिन्दूर, आन्द्रा ज्योति, जवाहर, आर.सी.एच-1

शीमला मिर्च: कैलीफोर्निया वण्डर, यलो वण्डर, वर्ल्ड बीटर, बुलनोज, भारत, अर्का मोहिनी, अर्का गोरव, आर्क बसन्त

खाद एवं उर्वरक: भूमि की तैयारी के समय अच्छे सड़ी गली गोबर की खाद या कम्पोस्ट 200.250 क्विंटल प्रति हैक्टर की दर से भूमि में मिलावें। इसके अलावा, नाइट्रोजन 30 कि.ग्रा. फास्फोरस 60 से 90 कि.ग्रा. और पोटाश 50 कि.ग्रा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व देवें तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा रोपाई के 30 दिन बाद दो बराबर भागों में खेत में छिड़क कर तुरन्त सिंचाई करें।

नर्सरी तैयार करना: नर्सरी में बीज की बुवाई कर पौध तैयार की जाती है। नर्सरी उसी प्रकार तैयार करते हैं। जैसे टमाटर, बैंगन आदि की नर्सरी में बज बोने का समय जलवायु की दशाओं के आधार पर अलग-अलग होता है। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, एवं तमिलनाडु में इसको जून-जुलाई में तथा पंजाब एवं राजस्थान में अप्रैल-मई में बोते हैं। शिमला मिर्च को नवम्बर में बोते हैं।

बीज की मात्रा: एक हैक्टर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 1.5 से 2.0 किलो बीज पर्याप्त रहता है। बीजों की बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान प्रति किलो



बीज की दर से उपचारित करें। नर्सरी में कार्बोफ्यूथान 3जी कण 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलावें। बीज जनित रोगों का प्रकोप न हो सके।

प्रतिरोपण: नर्सरी में बुवाई के 3.4 सप्ताह बाद जब पौध 10.15 से.मी. ऊँचाई की हो जाए, रोपने योग्य हो जाती है। इसे क्यारियो में या मेडो पर दोनो जगह ही लगाते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 से.मी तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 से.मी रखते हैं।

सिंचाई एवं निराई-गुड़ाई : पहली सिंचाई पौध प्रतिरोपण के तुरन्त बाद की जाती है। बाद में गर्म मौसम में हर 5.7 दिन तथा सर्दी में 10.15 दिनों के अन्तर से फसल को सिंचा जाता है। सिंचाई का अन्तराल भूमि की जल गृहण क्षमता, मौसम तथा गर्मियों और बरसात में होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। पौधों की वृद्धि की आरम्भिक अवस्थाओं में खरपतवों पर नियंत्रण पाने के लिए दो-तीन बार निराई करना आवश्यक होता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु 300 ग्राम आक्सीफ्यूओरफेन का पौधरोपण के ठीक पहले छिड़काव (600 से 700 लीटर पानी प्रति हैक्टर) करें।

कटाई: कटाई की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि मिर्च किस उद्देश्य से उगाई गई है सब्जी या सलाद के लिए उगाई गई किस्मों को हरि अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाने पर तोड़ लेते हैं। पुष्क मसाले के रूप में उगाई गई किस्मों को परिपक्व हो जाने पर तोड़ते हैं।

उपज: हरि चरपरी मिर्च की लगभग 100 से 150 क्विंटल तथा शिमला मिर्च की 150 से 200 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज की जा सकती है।

मिर्च के कीट: यह कीट पतियों एवं पौधों के कोमल भाग से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकोप से फसल को काफहानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 0.1 प्रतिषत या कारबेरिल 0.2 प्रतिषत या मोनोक्रोटोफोस 0.04 प्रतिषत का छिड़काव करते हैं।

सफेद लट: इस कीट की लटे पौधों को जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। तथा इससे फसल को काफी हानि होती है। प्रकोपित क्षेत्र में फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10जी या कार्बोफ्यूथान 3जी 25 किलो प्रति हैक्टर के हिसाब से रोपाई से पूर्व जमीन में मिला देना चाहिए।

एफिड: यह कीट पौधों के नर्म भागों से रस चूसते हैं तथा विषाणु फैलाने का कार्य करते हैं। इन्हें मारने के

लिए मैलाथियान 85 एस.एल 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कते हैं। 15.20 दिन बाद आवश्यकतानुसार छिड़काव दोहराते हैं।

मिर्च के रोग : यह रोग पाइलियन एफेनीडरमेटम फाइटोथोरा स्पेफीज फफुंद के द्वारा होता है। इस रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में होता है। जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ कर कमजोर हो जाता है तथा नन्हे पौधे गिरकर मर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बीज को बुवाई से पूर्व थाइरम या केप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर उपचारित कर लें।

नर्सरी में बुवाई से पूर्व थाइरम या केप्टान 4.5 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से मिलावें।

श्यामव्रण: यह रोग कोलेटोट्राइकम केप्सफसी नामक फफुंद के द्वारा फैलता है। इसमें फल पर स्लेटी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और सडन प्रारम्भ हो जाती है जिससे वे समय से पूर्व गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बीज को थाइरम या सेरासन (0.2 प्रतिषत के अनुसार) उपचारित करते हैं।

मेन्कोजेब या जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अन्तराल पर करें।

बेक्टीरियल लीफस्पोट : यह रोग जेन्थोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें पत्तियों एवं मूलायम शाखाओं पर छोटे-छोटे काले एवं स्लेटी धब्बे पड़ जाते हैं। फल पर जलीय धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसकी रोकथाम स्ट्रेक्टोसाइक्लिन 200 मिली ग्राम या कापर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव आवश्यकतानुसार 15 दिन के अन्तराल पर करें।

मोजे व पर्ण कुचन: यह एक विषाणु रोग है इस रोग के प्रकोप से सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं। छोटे बन जाते हैं। व झुर्रिया पड़ जाती है। पत्तियों में गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें नर्सरी तैयार करते समय बुवाई से पूर्व कार्बोफ्यूथान 3 जी 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलावें पौध रोपण के समय स्वस्थ पौधे काम में लें।

मनोज कुमार जाट, अरविन्द सिंह तेतरवाल, डा., बी. एल. जाखड और बरुन बिस्वास

कीट विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय, चौ. च. सि. हरियाणा कृषि विध्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

शेष पृष्ठ 1 का...

खाद्य सुरक्षा बिल...

अनाज खरीदने वाले राज्य सरकारों को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और यदि एफसीआइ से अनाज की खरीदारी नहीं हुई तो वह धीरे-धीरे बर्बाद हो जाता है। सीएजी ने रिपोर्ट में अनाज की बर्बादी की वजह साफ करते हुए कहा है कि एफसीआइ के पास 2006.07 से 2011.12 के बीच अनाज खरीदारी एवं भंडारण क्षमता में भारी अंतर पाया गया है। एफसीआइ के पास मार्च 2012 तक अपनी भंडारण क्षमता 332 लाख मिट्टिक टन की होनी चाहिए थी, लेकिन तक तक यह केवल 163 लाख मिट्टिक टन ही रही। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन छह वर्षों के दौरान एफसीआइ ने अपनी क्षमता में केवल 34 लाख मिट्टिक टन की वृद्धि कर सका। अनाज भंडारण एवं वितरण में गंभीर खामियों को देखते हुए सरकार की बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा बिल लाना बेमानी ही लगती है। जब तक पूरी सरकारी प्रणाली में बदलाव लाए इस बिल का अक्षर शरू लागू होना मुश्किल जान पड़ता है। आइए जानें क्या है खाद्य सुरक्षा बिल. खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में दावा किया गया है कि इससे देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। इसमें गरीबी रेखा से नीचे एवं सामान्य कोटि में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस बिल के दायरे में 75 फीसद आबादी आएगी जबकि शहरी क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 50 फीसद आबादी आएगी। विधेयक में प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवारों को तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे के प्रावधानों के तहत देश की 63.5 प्रतिशत जनता को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 63,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 95,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून में बदल जाने के बाद अनाज की मांग 5.5 करोड़ मिट्टिक टन से बढ़ कर 6.1 मिट्टिक टन हो जाएगी। शहरी इलाकों में कुल आबादी के 50 फीसद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें से कम से कम 28 प्रतिशत प्राथमिकता श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा।

निर्यातकों की मांग से जौ की कीमतों में तेजी की संभावना

जौ में निर्यातकों के साथ माल्ट कंपनियों की अच्छी मांग चल रही है जिससे कीमतों में तेजी बनी हुई है। महीने भर में उत्पादक मंडियों में जौ की कीमतों में 150 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आकर भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। निर्यातकों की मांग बनी रहने से मौजूदा कीमतों में और भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आने की संभावना है। इम्पीरियल माल्ट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय यादव ने बताया कि इस समय जौ में खाड़ी देशों के आयातकों की अच्छी मांग बनी हुई है।

फूलों का निर्यात बढ़ेगा 20 फीसदी!

भारत का पुष्प निर्यात मार्च 2013 में समाप्त वित्त वर्ष में 17 से 20 फीसदी बढ़ने की संभावना है क्योंकि इस साल की शुरुआत में वैलेंटाइन डे पर कटाई-छंटाई किए हुए गुलाब के फूलों का निर्यात बढ़ा है। अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के बीच भारत ने 385 करोड़ रुपये कीमत के 23,000 टन फूलों का निर्यात किया। यह पिछले साल की समान अवधि से 16.6 फीसदी ज्यादा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कहा शमार्च के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों के रुझान को देखते हुए हमारा अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान निर्यात 425 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। भारत ने वर्ष 2011-12 के दौरान 365 करोड़ रुपये के फूलों का निर्यात किया था, जो इससे पिछले साल से 23.3 फीसदी अधिक था। देश में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रमुख फूल उत्पादक राज्य हैं।



नियमों में संशोधन कर आर्थिक सम्बल प्रदान करने वाली पहली सरकार

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. दयाराम परमार ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने पेंशन नियमों में संशोधन कर वृद्धजनों, बौनों एवं विधवाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान किया है।

डॉ. परमार बुधवार को उदयपुर जिले की खेरवाड़ा पंचायत समिति के कानपुर एवं ढिकवास ग्राम पंचायत में विशेष पेंशन महाअभियान के तहत आयोजित शिविर में पीपीओ वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में संशोधन करने के कारण बौने, वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्ता आदि लोग लाभान्वित हो सके हैं। कानपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने 202 लोगों को विभिन्न योजनाओं के पीपीओ वितरित किये। इसी तरह से ढिकवास में आयोजित शिविर में 270 लोग पीपीओ पाकर खुश थे। शिविरों में 18 पालनहारों को 86 हजार 275 रुपये के चैक भी वितरित किये गये।

युवा उद्यमिता ने दिखाई रूचि

जयपुर। राजस्थान वित्त निगम के दिल्ली कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे सुविधा केन्द्र शिविर में 'युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' के प्रति युवा उद्यमियों में खासा रुझान देखा जा रहा है और बादलों से हैलथ केयर जैसे प्रोजेक्ट्स के सपने बुने जा रहे हैं।

निगम के उपमहाप्रबन्धक मधुकर चतुर्वेदी ने बताया कि 13 मई से शुरू हुए इस शिविर में करीब 100-125 युवाओं ने व्यक्तिशः आकर निगम के अधिकारियों के साथ अपने प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के सम्बंध में विचार विमर्श किया है।

निगम के दिल्ली कार्यालय के शाखा प्रबन्धक रामजीलाल ने बताया कि लोकप्रिय हो रही इस योजना के तहत युवा उद्यमियों द्वारा नए-नए विचारों एवं योजनाओं सहित अन्य कई अभिनव विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसमें हैण्डिक्राफ्ट आर्टिस्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग, एग्रोकैम प्रोडक्ट्स, बादलों से हैलथकेयर प्रोडक्ट्स एवं थैरेपी, फिल्म-निर्माण, होम फर्नीशिंग, ऑटोमाइजेशन, औद्योगिक कैंटरिंग, ऑनलाइन एजुकेशन एवं ट्युशन, आई.टी. सेल्यूलर सोलर प्रोडक्ट्स लाईव एन्टरटेनमेन्ट, आर्ट थैरेपी तथा इवेन्ट मैनेजमेन्ट आदि विषय मुख्य रूप से शामिल हैं। शिविर में आई.एम.एस.एम.ई. ऑफ इंडिया की मुख्य समन्वयक सुश्री जया गोयल ने भी उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

शिविर में भाग लेने आ रहे युवाओं ने यह सुझाव भी दिया है कि केन्द्र सरकार और अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करनी चाहिए, ताकि युवाओं को अपनी पसंद का उद्योग व्यवसाय शुरू करने के साथ ही वित्तीय मदद भी मिल सके।

करणी एन्टरप्राइजेज पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मालिक अश्वनी लापता

जयपुर। प्रदेश के संगरिया कस्बे के बस स्टैण्ड के समीप स्थित करणी एन्टरप्राइजेज द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त प्रतिष्ठान के संचालक अश्वनी पारीक ने हिन्द कैम कारपोरेशन से लाखों रूपयों का कारोबार किया। उसके उपरांत उसने बतौर भुगतान के चैक दिया जो बैंक में अनादरित हो गया।

कारपोरेशन ने अश्वनी कुमार पारीक को पार्टी बना उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि उक्त व्यक्ति ने अन्य कम्पनियों से भी धोखाधड़ी की है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति यहां से फरार है। कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध करें

जिला कलक्टर श्री टी.रविकांत ने तेज गर्मी के मद्देनजर मौसमी बीमारियों से बचाव व रोकथाम के पुख्ता प्रबंध करने के हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में मौसमी बीमारियों से बचाव व उपचार के लिए दवाईयों के पर्याप्त भण्डारण के पुख्ता प्रबंध किये जाये, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाये।

जिला कलक्टर बुधवार को कलक्ट्रेट में मौसमी बीमारियों, बिजली-पानी संबंधी आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बर्फ कैंपेडी, आईसक्रीम, कुल्फी के नियमित रूप से नमूने लेकर उनकी जांच करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि उक्त के उत्पादन स्थलों का भी बारीकी से निरीक्षण करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये तथा निरीक्षण के दौरान उत्पादन स्थलों पर सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये, इसके लिए संबंधित उत्पादनकर्ताओं को निर्देशित भी करें। उन्होंने कहा कि दुकानों पर ज्यूस बनाने के उपयोग में लिये जाने वाले फलों तथा ठेलों एवं दुकानों पर विक्रय किये जाने वाले फलों का भी निरीक्षण किया जाये। यदि सड़े-गले फल पाये जाये तो उन फलों को तुरन्त नष्ट करवाया जाये।

श्री टी.रविकांत ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे विभाग के जलस्रोतों के पानी के नियमित रूप से नमूने लेकर उनकी जांच करवाने की कार्यवाही को निरंतर जारी रखें। बैठक में अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ श्री सुखवीर सैनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी.थाकन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

UDIT OVERSEAS PVT. LTD
137, INDUSTRIAL AREA DEHRA, TEHSIL-CHOMU

PRODUCTS

- Micronutrients
- Mixture
- Secondary Nutrients
- Growth Promoters
- Bio Stimulants
- Bio Fungicide
- Bio Insecticide
- Bactericide
- Wetting Agent
- Zyme
- Tonic

We Welcome Your Inquiry.....

CONTACT DETAIL - MR. ALOK BENWAL MOB.: 09660258447